

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सीकर

शिवसिंहपुरा, हाऊसिंग बोर्ड, रोड़, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के सामने, नवलगढ़ रोड़ सीकर

दूरभाष : 01572-249183

E-mail:- me.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक: प()खअसी/माचि /2022/102


दिनांक: 27.07.2022

निविदा आमंत्रण

निदेशालय के पत्र क्रमांक निदे/अनिखा/पर्या/डीएसआर/2019/799-807 दिनांक 24.06.2022 से जिला जयपुर की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) तैयार कराई जानी है, जिस हेतु कन्सलटेन्ट को कार्य दिया जाना है। इस हेतु सम्बन्धित NABET/NABL से मान्यता प्राप्त पर्यावरण कन्सलटेन्ट से फर्म के लैटर पर दिनांक 12.08.2022 को सायं 3:00 बजे तक कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं। प्राप्त कोटेशनों को दिनांक 12.08.2022 को सायंकाल 5:00 बजे गठित कमेटी द्वारा खोली जाकर दरे अनुमोदित की जावेगी। कोटेशन की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के अनुसार होगी।
2. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट एवं खनिज बजरी हेतु पुर्नभरण (Replenishment Study) की रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
3. स्वीकृत दर पर फर्म को भुगतान निदेशालय खान एवं भविज्ञान विभाग उदयपुर से बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा।
4. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट को भुगतान online किया जावेगा। भुगतान हेतु फर्म/कन्सलटेन्ट को बैंक ब्यौरा देना होगा।
5. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट द्वारा 2 माह की अवधि में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार करा जिला कलक्टर, सीकर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। समक्ष प्राधिकरण से अनुमोदन करा प्रस्तुत करेगा।
6. चयनित फर्म/कन्सलटेन्ट की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
7. निविदा से सम्बंधित अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का मान्य होगा।

भवदीय


 (रामलाल सिंह) 27.7.22

खनि अभियंता सीकर

दिनांक:- 27.07.2022

क्रमांक: प()खअसी/संस्था/2022/103-107

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर क्षेत्र जयपुर।
3. श्रीमान अधिक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर सीकर।
5. रक्षित पत्रावली।


 खनि अभियंता सीकर 27.7.22